न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 38/21 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/102

उनवान

1. हरीराम उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह } जाति मीना निवासी ग्राम चिलाचोंद तहसील बाडी
2. अखैपाल उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व0 अर्जुन सिंह } जिला धौलपुर।
3. कलावती उम्र 80 वर्ष पत्नी स्व0 अर्जुन सिंह जाति मीना निवासी ग्राम चिलाचोंद तहसील बाडी जिला धौलपुर।
4. दयाबाई पुत्री स्व0 अर्जुन सिंह पत्नी मुन्नालाल उम्र 40 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम खोखला तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामविलास पुत्र स्व0 देवीलाल जाति मीना निवासी ग्राम कछपुरा सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
2. विरमा पत्नी स्व0 देवीलाल जाति मीना निवासी ग्राम कछपुरा सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
3. रेशोबाई पुत्री स्व0 देवीलाल पत्नी रघुनाथ जाति मीना निवासी ग्राम कांकरेट तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
4. बैजन्ती पुत्री स्व0 देवीलाल पत्नी स्व0 मुन्ना जाति मीना निवासी ग्राम बटीकरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
5. लीलाबाई पुत्री स्व0 देवीलाल पत्नी स्व0 मुरारी जाति मीना निवासी ग्राम बटीकरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
6. श्रीमान् तहसीलदार , तहसील सरमथुरा वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा दिनांक 24.03.2020 उनवानी हरीराम बनाम रामविलास मु0न0 18/15

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह राना उपस्थित।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

निर्णय दिनांक :— 31.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरमथुरा के आदेश दिनांक 24.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी परिशिष्ट क के सम्पूर्ण भाग का तथा परिशिष्ट ख में अंकित आराजी में 1/5 भाग का साविक खातेदार वादीगण का पति व पिता स्व0 अर्जुन सिंह था। जिसका निधन सन् 1993 में हो गया। अर्जुन सिंह की दो शादियॉ हुयी थी। पहली पत्नी भग्गोबाई से एक पुत्र देवीलाल पैदा हुआ जिसका संवत 2022 में निधन हो गया। जिसका हिस्सा बाद मृत्यु उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगातय 5 पर प्रकान्त हो गया। अर्जुन सिंह की दूसरी वैध पत्नी कलावती है तथा अर्जुन सिंह की कलावती से पैदा सन्तान वादीगण अपीलाण्ट संख्या 01, 02 व 4 है। अर्जुन सिंह के जीवनकाल में ही उसकी पहली पत्नी भग्गो बाई व उसके पुत्र देवीलाल का निधन हो गया था। इसलिये उसने वादी अपीलाण्ट संख्या 03 कलावती से दूसरी शादी कर ली। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में जो नामान्तकरण संख्या 389 दिनांक 29.04.1993 खोला गया। उसमें सिर्फ अर्जुन की पूर्व मृत पत्नी से पैदा मृत देवीलाल के उत्तराधिकारी प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 05 के नाम खोला जबकि वादी/अपीलाण्ट मृतक अर्जुन सिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी थे। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के आधारो के विपरीत निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में चले दोनों दावो को दोनों पक्षकारो के द्वारा खारिज करा लिया गया था। यानि कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों दावो का निस्तारण अन्तिम रूप से नहीं हुआ था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर खारिज किये गये दावो को अन्तिम रूप से निर्णित मानकार कानूनी भूल की है। पूर्व वादो में विवादित आराजी एवं पक्षकार भी समान नहीं है। अतः कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षो की ओर से प्रस्तुत अभिवचनो के आधार पर रेसज्यूडिकेटा से संबधित तनकी कायम करनी चाहिये थी तथा प्रतिवादी रैस्पो0 पक्ष को सर्वप्रथम रेसज्यूडिकेटा के कानून से संब्रधित तनकी का निस्तारण करवाना चाहिए था, ना कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के माध्यम से दावे को खारिज करना था। अपीलाधीन आदेश भी अपीलाण्ट की बैक पर राजस्थान में जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में पारित किया है। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि ग्राम चिलाचोंद की आराजी में जो नामान्तकरण खुला

है, वह दोनों पक्षो के नाम खुला है। उससे भी साबित है कि अपीलाण्ट अर्जुन सिंह के वैध वारिस हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईसी 2013(129) पेज 414, 2013(131) पेज 447, 2012(117) पेज 207, 2010(92) पेज 868, 2010(96) पेज 22, 20, 2010(88) पेज 10, 2013(126) पेज 194, 2003 पेज 319, आरबीजे 2011(18) पेज 743, आरआरडी 1978 पेज 11, 2012 पेज 842, 2009 पेज 274, आरएलआर 1989(1) पेज 723 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित इन्ही पक्षकारो के मध्य में एक दावा अर्न्तगत धारा 88, 188 आरटीए प्रकरण संख्या 171/1993 व उनवानी कलावती बनाम रामविलास वगै0 के नाम से अधीनस्थ न्यायालय में चला था जो दिनांक 31.05.1995 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलाण्ट ने स्वीकार किया है कि पूर्व वाद में जमीन समान ही थी। अतः प्रकरण में स्पष्ट रूप से रेसज्यूडिकेटा लगता है। ग्राम चिलाचोंद एवं ग्राम तरवा में पक्षकारो के मध्य जो आराजी आयी है वह पूर्व में चले दोंनों दावा में राजीनामा के आधार पर खारिज हुये, से आयी है। उक्त दावो में राजीनामा यह हुआ था कि जिन–जिन के नाम आराजी है वह वैसी ही बनी रहेगी एवं भविष्य में इस बावत् कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार उक्त दावो में अपीलाण्ट विवादित आराजी से अपना हक छोड चुके हैं। अतः फिर से पुनः उन्हीं तथ्यो पर दावा करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से सम्पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त दावा 7 नियम 11 में खारिज किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि रैस्पो0/ प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.02.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(डी) सीपीसी पेश करते हुए, अंकित किया है कि पूर्व में इसी विवादित आराजी एवं इन्ही पक्षकारो के मध्य पूर्व में दावा चला था, जो खारिज हो चुका है। अतः अपीलाण्ट/वादीगण का पुनः दावा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है एवं दावा रेसजुडिकेटा के तहत बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाण्ट/वादीगण का दावा पूर्व न्याय (Resjudicata) के सिद्धान्त पर सुने जाने योग्य नहीं माना जाकर, रैस्पो0/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, दावा खारिज किया गया है। हमारा मत है कि पूर्व न्याय का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है जिसका विनिश्चयन साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। पूर्व न्याय के बिन्दु का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय को पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णय को देखना होगा, जो साक्ष्य की विवेचना की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विवचना, जवाब दावा एवं दोनों पक्षों के साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर देने के बाद ही सम्भव हैं। बिना साक्ष्य का अवसर दिये, प्रारम्भिक स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही विधिक नहीं मानी जा सकती है। तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु, साक्ष्य आदि लेने के बाद ही निर्णीत किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय के

सिद्धान्त के आधार पर ली गयी आपत्ति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर वाद को खारिज करना उचित नहीं है। यदि वादपत्र के अभिवचनों से ही दावा चलने योग्य नहीं है तो बिना जवाबदावा भी आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा सकता है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादपत्र को पढने मात्र से यह प्रतीत नहीं होता है कि दावा विधि से वर्जित है। प्रतिवादी/रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में यह तर्क कि पूर्व वाद के तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया गया है। इस आपत्ति के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा मत है कि ऐसी आपत्ति, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में उठाई जा सकती है एवं उनके द्वारा उठायी भी गयी है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 06 निर्मित की है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह प्रकरण में उभयपक्ष से साक्ष्य लेते हुये तनकीवार तार्किक निर्णय करते। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि आदेश 07 निमय 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत, अधीनस्थ न्यायालय का वाद को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा के निर्णय दिनांक 24.03.2020 अपास्त किये जाते हैं एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिवत, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 20.11.2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ भेजी जावें। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर